# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | :– | मनमोहन मीना, आर.ए.एस.<br>अति0 जिला कलक्टर, लालसोट |
| मुकदमा नंबर | :– | जीसीएमएस नंबर 2025 / 143<br>मैन्युअल नंबर 22 / 2025 |
| रजु दिनांकः | :– | 24.09.2025 |

1. रामजीलाल बैरवा पुत्र स्व0 नाथूलाल बैरवा उम्र 56 वर्ष हालनिवासी डाबर, जिला सवाई माधोपुर एवं ई–235, कुसुमपुर पहाडी, बसंत कुन्ज एस0ओ0, साउथ वेस्ट, दिल्ली
2. हरकेश बैरवा पुत्र स्व0 नाथूलाल बैरवा उम्र 56 वर्ष, निवासी डाबर जिला सवाई माधोपुर
3. राजन्ती देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल बैरवा पत्नी जयनारायण बैरवा, उम्र 46 वर्ष, निवासी–170, मंगल विहार विस्तार, आगरा रोड, लूनियावास, जयपुर
4. केशन्ता देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल बैरवा पत्नी मोहनलाल बैरवा, उम्र 39 वर्ष निवासी बैरवा की ढाणी, ग्राम बिदरखां तह0 रामगढ पचवारा जिला दौसा
5. सुरमादेवी बैरवा पत्नी चिरंजीलाल बैरवा, उम्र 32 वर्ष निवासी डाबर, जिला सवाई माधोपुर
6. नन्दिनी पुत्री स्व0 चिरंजीलाल बैरवा, उम्र 11 वर्ष जरिये संरक्षिका माता सुरमादेवी बैरवा निवासी डाबर, जिला सवाई माधोपुर
7. धीरज पुत्र स्व0 चिरंजीलाल बैरवा, उम्र 09 वर्ष जरिये संरक्षिका माता सुरमादेवी बैरवा निवासी डाबर, जिला सवाईमाधोपुर

(अपीलांटस)

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निर्झरना जिला दौसा, राज0

(रेस्पोडेन्ट)

उपस्थितः– 01. अपीलांटस की ओर से : श्री वैभव गुरावा एडवोकेट
02. रेस्पोडेन्ट की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

**निर्णय** दिनांकः 11/2/26

अपील विरूद्ध आदेश अधीनस्थ न्यायालय तहसील लालसोट बाबत नामांतरण संख्या 48 दिनांक 28.05.1973 एवं नामांतरण संख्या 483 दिनांक 22.12.1985 वाकै ग्राम निर्झरना, ग्राम पंचायत निर्झरना, तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना जिला दौसा राज0

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस की ओर से एक अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 28.05.1973 एवं नामांतरण संख्या 483 दिनांक 22.12.1985 ग्राम ग्राम निर्झरना तहसील निर्झरना इस आशय की पेश की गई कि नाथूलाल उर्फ नाथ्या वल्द छोट्या उर्फ छोटेलाल को भूमिहीन होने के कारण वर्ष 1970 में तत्कालीन आराजी खसरा नं0 55 के कुल रकबा 62 बीघा 15 बिस्वा तत्कालीन वाकै ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला जयपुर

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

किस्म सिवायचक में से 03 बीघा भूमि दिनांक 12.02.1970 को आवंटन की गई एवं आवंटन के पश्चात् से पूर्व में आवंटी नाथ्या और वर्तमान में नाथ्या के वारिसान अर्थात अपीलाण्ट्स आवंटित भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। आवंटन के नियमो के तहत आवंटी नाथूलाल उर्फ नाथ्या वल्द छोट्या उर्फ छोटेलाल का नाम नामांतरण पंजिका के कॉलम 5 सिवायचक के बजाय कॉलम सं0 11 के नाम इन्द्राज स्वीकार किया गया जो पूर्व में नाथ्या पुत्र छोट्या बैरवा के नाम इन्द्राज किया गया लेकिन उस कॉलम में राजस्व ऐजेन्सी के तत्कालीन कर्मचारीयों द्वारा छोट्या के नाम में कॉट–छॉट कर छीतर्या कर दिया गया जो कि गलत था और जब दिनांक 22.12.85 को नामांतरण संख्या 483 भरा गया तो उसमें भी नाथ्या पुत्र छोट्या के स्थान पर नाथ्या पुत्र छीतर्या कर दिया गया इस प्रकार उक्त दोनो नामांतरण संख्या 48 व नामांतरण संख्या 483 तत्कालीन वाकै ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट जिला जयपुर एवं हाल ग्राम निर्झरना तहसील निर्झरना जिला दौसा में राजस्व ऐजेन्सी के तत्कालीन कर्मचारीयों द्वारा छोट्या के नाम में कॉट–छॉट कर छीतर्या कर दिया गया जो कि गलत था। इस प्रकार कथन करते हुए अपीलांटस ने प्रश्नगत नामांतरण को निरस्तनीय करार दिया है।

अपीलांटस द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधि0 एवं प्रार्थना पत्र दफा 96 जा0दी0 पेश कर अपीलाण्टस की अपील स्वीकार कर नामांतरण संख्या 48 दिनांक 28.05.1973 एवं नामांतरण संख्या 483 दिनांक 22.12.1985 वाकै ग्राम निर्झरना ग्राम पंचायत निर्झरना तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना जिला दौसा निरस्त कर पुनः अपीलान्ट्स के हक में नामांतरण तस्दीक करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

अपीलांटस की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलवी की गई। प्रकरण में मूल नामांतरण अभिलेख तहसीलदार निर्झरना से तलब किया गया। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता अपीलांटस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि नाथूलाल उर्फ नाथ्या वल्द छोट्या उर्फ छोटेलाल को आवंटित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 48 दिनांक 28.05.1973 भरते वक्त सिवायचक के बजाय नाथ्या पुत्र छोट्या बैरवा के नाम इन्द्राज किया गया लेकिन राजस्व ऐजेन्सी के तत्कालीन कर्मचारीयों द्वारा छोट्या के नाम में कॉट–छॉट कर छीतर्या कर दिया गया और जब दिनांक 22.12.1985 को नामांतरण संख्या 483 भरा गया तो उसमें भी नाथ्या पुत्र छोट्या के स्थान पर नाथ्या पुत्र छीतर्या कर दिया गया इस प्रकार दोनो नामांतरण संख्या 48 एवं 483 तत्कालीन वाकै ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना में राजस्व ऐजेन्सी के तत्कालीन कर्मचारीयों द्वारा छोट्या के नाम में कॉट–छॉट कर छीतर्या कर दिया गया जो कि गलत था। प्रश्नगत नामांतरण से संबंधित भूमि पर अपीलांटस के पूर्वज एवं अपीलान्टस का कब्जा लगातार चला आ रहा है और अन्य किसी व्यक्ति का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई संबंध सरोकार वास्ता नहीं रहा तथा प्रश्नगत नामांतरण में नाथ्या पुत्र छोट्या का अवैध रूप से तत्कालीन राजस्व कर्मचारीयों ने लापरवाही मय घपलत के द्वारा अंकन दर्ज कर दिया जो न्याय संगत नही है। इस प्रकार कथन करते हुए अधिवक्ता अपीलांटस ने अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाकर नामांतरण संख्या 48 दिनांक 28.05.1973 एवं नामांतरण संख्या 483 दिनांक 22.12.1985 वाकै ग्राम

अति० जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

निर्झरना ग्राम पंचायत निर्झरना तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना जिला दौसा निरस्त कर पुनः अपीलान्ट्स के हक में नामांतरण तस्दीक करने का आदेश फरमाने का निवेदन किया है।

हमने अधिवक्ता अपीलांटस की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलांटस की अपील स्वीकार किया जाना उचित है अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार की जाकर नामांतरण संख्या 48 दिनांक 28.05.1973 एवं नामांतरण संख्या 483 दिनांक 22.12.1985 वाकै ग्राम निर्झरना तहसील लालसोट हाल तहसील निर्झरना निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार निर्झरना को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलाण्टस/प्रार्थीयान को विधिवत साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नामांतरण तस्दीक करने की कार्यवाही करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11/2/26 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन मीना आरएएस)
लालसोट (दौसा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा